

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक: प्र.का/प्रशा./एफ.9(656)/20/17833 जयपुर, दिनांक : 14.07.020

कार्यालय आदेश

चुंकि श्री प्रभु दयाल कुमावत, वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक, राज्य भण्डारगृह, मेडता सिटी (हाल अस्थायी पदस्थापन पर राज्य भण्डारगृह कुचामनसिटी में कार्यरत) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (स्टॉफ) रेगुलेशन, 1974 के डिस्सिप्लिन एण्ड अपील रूल्स के भाग III के नियम 10(i) (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त श्री प्रभु दयाल कुमावत को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।


श्री प्रभु दयाल कुमावत, वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक का मुख्यालय निलम्बन काल में प्रधान कार्यालय, जयपुर पर निश्चित किया जाता है।

श्री भंवर सिंह, गोदाम रक्षक, राज्य भण्डारगृह, कुचामनसिटी केन्द्र का चार्ज अज्यूम करेंगे एवं केन्द्र प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे।


प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), प्रधान कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री प्रभु दयाल कुमावत, वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक को निलम्बन की अवधि में उनके वेतन का 50 प्रतिशत भाग जीवन निर्वाह भत्ता एवं उस पर अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता दिया जावे।
4. श्री प्रभु दयाल कुमावत, वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक, राज्य भण्डारगृह, मेडता सिटी (हाल अस्थायी पदस्थापन पर राज्य भण्डारगृह कुचामनसिटी) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति आज ही प्रशासन अनुभाग, मुख्यालय पर देवें व निलम्बन काल में नियमानुसार अपनी प्रतिदिन उपस्थिति यहीं देवें।
5. श्री भंवर सिंह, गोदाम रक्षक, राज्य भण्डारगृह, कुचामनसिटी।
6. निजी पत्रावली श्री भंवर सिंह।
7. गोपनीय प्रतिवेदन पत्रावली/निजी पत्रावली श्री प्रभु दयाल कुमावत।
8. प्रतिनिधि, ऑरिगो कम्प्यूडिटीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कुचामनसिटी।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)